

D रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. 2018/5009/

गोदिये जी

निवेदन है कि शाह-कनेदनपुर की वहीन
आबकी खाता नं. 242 में प्राचीन का गन्ध रतन चमार की
है जबकि आधार कार्ड में रतनबाबू के रखा है अतः
रतन चमार की बजाय रतनबाबू के रखा दिया जाना उचित है
रिपोर्ट प्रमाण की की लिये में पेश है

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

सुरेश कुमार
पटवारी व भू.अ.नि.
तहसीलदार

9/5/18
08-05-18

रिपोर्ट प्रमाण: जम्मा 112 एवं गन्धुन आधार कार्ड
अनुसार संशोधन किया है

तहसीलदार
शुलभाकली, जिला-भीलवाड़ा

सहकार लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

उ.सं. 95/18 प्रा.बन

अदेश केम कनेदनपुर

दिनांक 08-05-2018

एक रिपोर्ट तहसीलदार फ़ाकिपल्ली के उमर कनेदनपुर की
वर्तमान आबकी के खाता संख्या 242 में दर्ज रतन चमार के
बजाय रतनबाबू के रखा है किने जाने का आदेश दिया जाता है।
पावनार्क तहसीलदार, फ़ाकिपल्ली के भेजा जावे।



उपसखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलिया कला, जिला-भीलवाड़ा

उपसखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.